

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गाँधी नरेगा)



क्रमांक: एफ 1(32)नरेगा/बजट घोषणा/2013

जयपुर, दिनांक:

29 JUL 2013

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलेक्टर, समस्त।

विषय :- वर्ष 2013-14 के दौरान 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने बाबत।
संदर्भ :- विभागीय समसंख्यक पत्र दि. 28.03.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वर्ष 2013-14 हेतु की गई बजट घोषणा की क्रियान्विती के क्रम में वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 150 दिन तक का रोजगार उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की गई थी।

आपसे अनुरोध है कि वर्ष 2013-14 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने के उपरान्त, 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार राज्य मद से उपलब्ध कराया जावे। अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने बाबत समस्त प्रक्रियाएँ महात्मा गांधी नरेगा योजना के समान रहेंगी।

भवदीय .

(कुलदीप रांका)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि
2. संयुक्त सचिव, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली को प्रेषित कर अनुरोध है कि राज्य मद से 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने बाबत नरेगा सॉफ्ट में आवश्यक प्रावधान तत्काल कराने का श्रम करावें।
3. अति. आयुक्त (प्रथम), ईजीएस कार्यालय हाजा से अनुरोध है कि राज्य मद से 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने बाबत नरेगा सॉफ्ट में आवश्यक प्रावधान तत्काल कराने का श्रम करावें।
4. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस कार्यालय हाजा से अनुरोध है कि राज्य मद से 50 दिवस का अतिरिक्त रोजगार हेतु राज्य मद की आवश्यक राशि तत्काल उपलब्ध कराने का श्रम करावें।
5. मुख्यालय के समस्त जिला प्रभारी अधिकारी/जन सम्पर्क अधिकारी।
6. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. समस्त।
7. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, जयपुर/जोधपुर।
8. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त
9. एमआईएस मैनेजर, कार्यालय हाजा को ई-मेल करने एवं वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाईल।

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस